(54)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1510–दो/2015 विरूद्ध संपूर्ण कार्यवाही नायब तहसीलदार शिवगढ़ तहसील सैलाना जिला रतलाम के प्रकरण कमांक 1/अ–6/2011–12.

राधाबाई पति स्व0 श्री रामकिशनजी
निवासी 349, सीतलामाता की गली, ग्राम शिवगढ़
तहसील सैलाना जिला रतलाम म0प्र0
_____ आवेदक

विरूद्ध

आनन्दीबाई पति स्व0 श्री रामकिशनजी सोनावा
निवासी ग्राम शिवगढ़ तहसील सैलाना
जिला रतलाम म0प्र0
_____ अनावेदक

.....

श्री आलोक शास्त्री, अभिभाषक आवेदक
श्री महेन्द्र कुमकार, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28 मार्च 2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार सैलाना जिला रतलाम के प्रकरण कमांक 1/अ–6/2011–12 में की जा रही सम्पूर्ण कार्यवाही के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक आनन्दीबाई की ओर से ग्राम शिवगढ़ स्थिति भूमि सर्वे कमांक 975/2 रकबा 0.360 है0 के विकय पत्र के आधार पर नामांतरण करने हेतु एक आवेदन धारा 110 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया। आवेदिका राधाबाई ने आपत्ति प्रस्तुत की। आवेदिका की ओर से दिनांक 18–6–14 को तहसील

न्यायालय में धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर स्थाई निषेधाज्ञा बावत व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने से प्रकरण सिविल न्यायालय के आदेश तक स्थगित रखने बावत प्रस्तुत किया। इसके पश्चात दिनांक 10–10–14, 11–2–15 को आपत्ति प्रस्तुत की गई तथा दिनांक 28–5–15 को व्यवहार न्यायालय के स्थगन आदेश की प्रति प्रस्तुत की। नायब तहसीलदार ने दिनांक 22–6–15 को प्रकरण साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण हेतु नियत किया। नायब तहसीलदार के द्वारा की गई कार्यवाही के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने तर्क में कहा कि अनावेदिका की ओर से विवादित भूमि के नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर आवेदिका की ओर से विधिवत आपत्ति दर्ज की गई तथा व्यवहार न्यायालय से प्रदाय स्थगन आदेश भी उपलब्ध कराया गया फिर भी नायब तहसीलदार ने प्रकरण में कार्यवाही जारी रखकर साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण के लिए प्रकरण नियत करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि जब व्यवहार न्यायालय से प्रकरण में स्थगन जारी किया गया हो तब राजस्व न्यायालय को कार्यवाही स्थगित करना अनिवार्य होता है क्योंकि व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है। अतः नायब तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही निरस्त की जाये।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि अनावेदिका ने विकय पत्र के आधार पर विधिवत नामांतरण हेतु आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिसपर नायब तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की। उक्त प्रकरण में आवेदिका को विधिवत सूचना जारी की गई है तथा वह प्रकरण में उपस्थित भी होती आ रही है। यह भी तर्क दिया कि व्यवहार न्यायालय से किसी प्रकार का स्थगन प्रदाय नहीं किया गया है इसी कारण तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 13–4–15 में स्पष्ट लेख किया है कि सिविल न्यायालय से नामांतरण पर स्थगन नहीं दिया गया

है अपितु विकय किये जाने पर स्थगन दिया है। तहसील न्यायालय द्वारा की जा रही नामांतरण की कार्यवाही विधिवत प्रकिया अपनाकर की जा रही है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। तहसील न्यायालय में दिनांक 24–10–2011 को अनावेदिका की ओर से विकय पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर आवेदिका द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। प्रकरण के प्रचलित रहते आवेदिका की ओर से दिनांक 10–10–14, 11–2–15 को आपत्ति प्रस्तुत की गई तथा दिनांक 28–5–15 को व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत कर प्रकरण को स्थगित रखने बावत आवेदन दिया। आवेदिका की ओर से व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 सैलाना के व्यवहार वाद कमांक 40ए/2014 में पारित आदेश दिनांक 17–3–2015 की प्रति का अवलोकन किया । उक्त आदेश में नामांतरण प्रकरण में की जा रही कार्यवाही को स्थगित रखने के संबंध में किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया अपितु विवादित भूमि को विकय करने पर रोक लगाई गई है। इसी कारण नायब तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 13–4–15 के द्वारा आवेदिका की आपत्ति पर आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकाला है कि नामांतरण पर स्थगन नहीं दिया गया है अपितु विकय किये जाने पर स्थगन दिया है। स्पष्ट है आवेदिका तहसील न्यायालय में प्रचलित नामांतरण प्रकरण को लंबित रखने के उद्देश्य से आपत्तियां प्रस्तुत कर रही है। नामांतरण प्रकरण को व्यवहार न्यायालय अथवा किसी वरिष्ठ राजस्व न्यायालय के स्थगन आदेश के कम में ही स्थगित रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त व्यवहार न्यायालय से स्थगन प्राप्ति हेतु अधिकतम तीन माह तक स्थगन दिये जाने का प्रावधान भू–राजस्व संहिता में है, परन्तु यह नामांतरण प्रकरण लगभग 4 साल से लंबित रहने से आवेदिका को उक्त अनुतोष भी प्रदान नहीं किया जा सकता है। नायब तहसीलदार द्वारा

नामांतरण प्रकरण में की जारी कार्यवाही में किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रकट नहीं होने से यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त व्यवहार न्यायालय का उक्त आदेश 12 माह की काल अवधि तक जो भी पूर्ववती हो तक प्रभावी होने का लेख है। व्यवाहर न्यायालय के आदेश दिनांक 17–3–15 से एक साल तक अर्थात 17–3–16 तक ही प्रभावी है। स्पष्ट है व्यवहार न्यायालय द्वारा दिया गया उक्त स्थगन आदेश का प्रभाव भी अब समाप्त हो गया है। अतः निगरानी निरस्त की जाती है तथा प्रकरण नायब तहसीलदार को नामांतरण प्रकरण में विधिवत प्रकिया अपनाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर